सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

वार्षिक रिपोर्ट / ANNUAL REPORT

2017-2018

डिजिटलीकरण का लेकर सहारा, समावेशी विकास, है लक्ष्य हमारा

Targeting Inclusive Growth Through Digitalization

अनुक्रमणिका / INDEX

विषय सूची / Contents	पृष्ठ क्र. / Page No.
अध्यक्ष का संदेश	02
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का संदेश	03
निदेशक मंडल / Board of Directors	05
सूचना	08
कार्यनिष्पादन वैशिष्ट्य	30
निदेशक रिपोर्ट 2017-18	31
प्रबंधतंत्र विचार एवं विश्लेषण	36
कॉर्पोरेट गवर्नेंस	69
सदस्यों को लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	88
दिनांक 31 मार्च, 2018 का तुलन पत्र	90
दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि खाता	91
तुलन पत्र तथा लाभ-हानि खाते की अनुसूचियां	92
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	98
लेखों से संबंधित टिप्पणियां	103
दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरणी	129
दिनांक 31 मार्च, 2018 को समेकित तुलन पत्र	160
प्रॉक्सी फार्म	187
CHAIRMAN's MESSAGE	191
MANAGING DIRECTOR AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER's MESSAGE	192
Notice	194
Performance Highlights	216
Director's Report 2017-18	217
Management Discussion & Analysis	222
Corporate Governance	254
Auditors' Report to the Members	273
Balance Sheet as at 31 March, 2018	275
Profit & Loss Account for the year ended 31 March, 2018	276
Schedules to Balance Sheet and Profit & Loss Account	277
Significant Accounting Policies	283
Notes Forming part of the Accounts	288
Cash Flow Statement for the year ended 31 March, 2018	314
Consolidated Balance Sheet as at 31 March, 2018	345
Proxy Form	371
Attendance Slip / Entry Pass	373

अध्यक्ष का संदेश

प्रिय स्टेकहोल्डर्स,

मुझे खुशी है कि मैंने गैर-कार्यकारी अध्यक्ष की हैसियत से इस बैंक में कार्य ग्रहण किया है. बैंकिंग क्षेत्र के लिए यकीनन यह चुनौतीपूर्ण समय है. दी गई चुनौतियों के बावजूद, हमारा बैंक अनुपालन एवं पारदर्शिता के उच्च मानकों को बनाए रखते हुए अपने व्यवसाय के संचालन में सर्वोत्तम कॉर्पोरेट गवर्नंस संव्यवहार को अपनाते हुए अपने शेयर होल्डरों के शेयर मूल्यों के संवर्धन के लिए महत्तम प्रयास जारी रखेगा.

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक राष्ट्र निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं. सभी लोगों के लिए वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के सरकारी लक्ष्य के अनुरूप अंतिम छोर के ग्राहकों तक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए वे निरंतर काम कर रहे हैं. इस संबंध में, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपने सभी स्टेक धारकों हेतु सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए पूर्णत: प्रतिबद्ध है.

वैश्विक अर्थव्यवस्था में पुनरुत्थान की कोंपलों का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी अवश्य होगा. उन्नत अर्थव्यवस्थाएं, विशेष तौर पर यूएस, तुलनात्मक रूप से उल्लेखनीय विकास का साक्षी रहा है, जिसकी वजह से यूएस फेड को मुद्रा नीति को कठोर बनाने का सहारा लेना पड़ा. कच्चे तेल के दामों में हाल ही में आए उछाल की वजह से तेल निर्यातक देश फायदे में रहेंगे. भारत की विकास की गति को ये बाह्य कारक निश्चित तौर पर प्रभावित करते हैं. भारत में, वित्तीय वर्ष 2018 की तीसरी तिमाही में कृषि, निर्माण कार्य एवं विनिर्माण क्षेत्रों के अंतर्गत उल्लेखनीय प्रगति के कारण विकास की रफ्तार में तेजी आई है. तथापि, हाल ही के महीनों में रुपए पर बढ़ता दबाव परिलक्षित हुआ है. कच्चे तेल के बढ़ते हुए दामों का चालू खाता घाटे पर दबाव पड़ेगा उपभोक्ता मुद्रास्फीति पर इसका प्रभाव होगा. तथापि, सरकार द्वारा लगातार किए जा रहे सुधारात्मक उपाय अर्थव्यवस्था को स्वयं-सिद्ध प्रगति पथ पर ले जाएंगे.

बैंकिंग उद्योग गैर-निष्पादक आस्तियों से निपटने की एक अहम चुनौती से जूझ रहा है. मुझे आशा है कि दिवाला तथा दिवालियापन कोड अधिनियमन जैसे नये सुधारों की वजह से वर्तमान वर्ष में एनपीए की वसूली एवं समाधान के संदर्भ में बैंकिंग उद्योग बेहतर स्थिति में रहेंगे. हमें समुचित सावधानी बरतते हुए इन मुद्दों का निराकरण करना होगा. बदलते परिवेश की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे बैंक ने अन्य कार्यक्षेत्रों के साथ-साथ जोखिम प्रबंधन, ऋण, ट्रेजरी, आईटी इत्यादि प्रमुख क्षेत्रों में %ान तथा कौशलवर्धन पर विशेष जोर देना जारी रखा है. विश्लेषणात्मक अध्ययन के उपयोग से बहुत बड़ी संख्या में उपलब्ध आंकड़ों का समुचित विश्लेषण करने में मदद मिलेगी, जो उत्पाद नवोन्मेषन की प्रक्रिया को सुगम बनाते हुए इष्टतम समाधान सुनिश्चित करेगा. हमारे बैंक द्वारा अपने कारोबार में डिजिटलीकरण और प्रौद्योगिकी को निरंतर बढ़ावा दिया जा रहा है. अन्ततः, किसी संस्था की सफलता में मानव संसाधन एवं इसके योगदान के महत्त्व को भी हमारे बैंक ने भली-भांति समझा है. मुझे विश्वास है कि हम सभी मोर्चों पर अपने प्रयासों को दुगुना करते हुए इन चुनौतियों का मुकाबला करने में अवश्य सफल होंगे.

शुभकामनाओं सहित,

आपका,

हस्ता/-
तपन रे

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25 मई, 2018

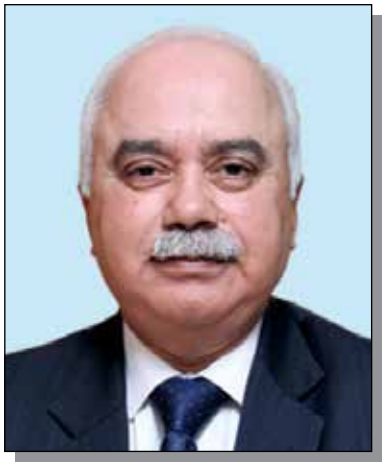

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का संदेश

प्रिय शेयरहोल्डर,

पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक और घरेलू आर्थिक परिदृश्य में परिलक्षित चुनौतियों को बैंकों ने भी इस वर्ष महसूस किया है. तथापि, आर्थिक परिदृश्य में हाल में दृष्टिगोचर सकारात्मक बदलावों ने हमें आशान्वित भी किया है.

वैश्विक अर्थव्यवस्था वृद्धि दर्शाते हुए वर्ष 2017 में इस की दर 3.8% रही, जबकि वर्ष 2016 में यह दर 3.2% थी तथा ऐसी आशा है कि उन्नत तथा उभरती अर्थव्यवस्थाओं के सहयोग से यह वृद्धि दर वर्ष 2018 में भी बनी रहेगी. उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की वर्ष 2017 में वृद्धि दर 2.3% रही, जबकि वर्ष 2016 में यह दर 1.7% थी. उन्नत अर्थव्यस्थाओं के अंतर्गत; यू.एस. की वृद्धि दर वर्ष 2017 में 2.3% रही, जबकि वर्ष 2016 यह दर 1.5% थी. यू.एस. में समष्टि पैरामीटरों में वृहद आधार पर बेहतरी परिलक्षित हुई. यू.एस. में वर्ष 2017 में मुद्रास्फीति बढ़ी तथा यह 2.1% के स्तर तक पहुंच गयी. यू.एस. फेड ने क्रमिक दर वृद्धि के साथ अपनी मौद्रिक नीति चक्र को कठोर बनाए रखा. यूरो के क्षेत्र में; वर्ष 2017 में वास्तविक जी.डी.पी. में 2.3% की वृद्धि हुई. इस क्षेत्र में, वर्ष 2017 में मुद्रास्फीति में 1.5% की बढ़ोतरी हुई. पिछले वर्ष की तुलना में, वर्ष 2017 में सकल पूंजी निगमन तथा औद्योगिक उत्पाद, दोनों में ही वृद्धि हुई.

2रे अग्रिम राष्ट्रीय आय अनुमान 2017-18 के अनुसार; वास्तविक जी.डी.पी. वृद्धि वर्ष 2017-18 में सामान्य दर 6.6% पर रहेगी, जबकि वर्ष 2016-17 में यह 7.1% थी. तथापि, तिमाही आकड़ों ने यह दर्शाया है कि हाल ही में अपनाये गये कुछ सुधारात्मक कार्रवाइयों के अस्थायी प्रभाव से उभरते हुए, भारतीय अर्थव्यवस्था अब पटरी पर आ गई है. वित्तीय वर्ष 2018 की पहली तिमाही से तीसरी तिमाही के दौरान जी.डी.पी. वृद्धि में बढ़ती प्रवृत्ति परिलक्षित हुई. वित्तीय वर्ष 2018 की तीसरी तिमाही में जी.डी.पी. 7.2% की उल्लेखनीय दर से बढ़ी, जबकि वित्तीय वर्ष 2018 की दूसरी तिमाही में यह दर 6.5% थी. वित्तीय वर्ष 2018 की तीसरी तिमाही में मूल्यवर्धित कृषि में 4.1% तथा विनिर्माण में 8.1% की वृद्धि हुई. सेवा क्षेत्रों के अंतर्गत; व्यापार, होटेल, परिवहन, प्रसारण से संबंधित संचार एवं सेवाओं के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018 में 9% की वृद्धि हुई.

मौद्रिक नीति के मोर्चे पर भारतीय रिज़र्व बैंक मौद्रिक नीति समिति (एम.पी.सी.) ने अगस्त 2017 में बेंचमार्क रेपो दर में 25 आधार बिंदु की कटौती करते हुए, इसे 6.25% से घटाकर 6% कर दिया है. एम.पी.सी. ने अक्तूबर 2017 में सांविधिक तरलता अनुपात (एस.एल.आर.) में कटौती करते हुए इसे 20% से घटाकर 19.5% कर दिया.

नोटबंदी के बाद बैंकिंग उद्योग में ऋण वृद्धि की दर क्रमिक रूप से बढ़ रही है. वित्तीय वर्ष 2018 में ऋण एवं जमा के अनुपात में भी बेहतरी दिखायी दी. तथापि, दबावग्रस्त कॉर्पोरेट तुलन-पत्रों ने वांछित स्तर तक ऋण वृद्धि को पहुंचने नहीं दिया. पूरे बैंकिंग उद्योग में आस्ति गुणवत्ता चिंता का विषय बना रहा. भारतीय रिज़र्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्रों के कई बैंकों को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई फ्रेमवर्क के अंतर्गत रखा, ताकि कुछ जोखिमपूर्ण गतिविधियों से बचा जा सकें और उनके तुलन-पत्र को मजबूत करने के लिए पूंजी संरक्षित रहें. सरकार द्वारा बैंकों की पुनर्पूंजीकरण योजना की घोषणा एक स्वागत योग्य कदम है, जिसके माध्यम से भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पर्याप्त पूंजी प्रदान की जायेगी. अक्तूबर 2017 में सरकार ने रुपये 2.11 लाख करोड़ पुनर्पूंजीकरण की घोषणा की, जिनमें रुपये 1.35 लाख करोड़ पुनर्पूंजीकरण बॉण्ड के माध्यम से एकत्र किये जायेंगे.

अब मैं आपको, आपके बैंक के इस वर्ष के कार्यनिष्पादन के बारे में बताना चाहूंगा. वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान हमारे बैंक का व्यवसाय रुपये 4,72,323 करोड़ रहा, जबकि वित्तीय वर्ष 2016-17 में यह रुपये 4,49,679 करोड़ था. दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए हमारे बैंक की जमा रुपये 2,94,839 करोड़ थी. कुल जमा में कासा की हिस्सेदारी 42.46% रही, जबकि वित्तीय वर्ष 2016-17 में यह हिस्सेदारी 39.20% थी. 31 मार्च, 2018 को उच्च लागत जमाओं में 93.64% की उल्लेखनीय कमी के साथ यह राशि रुपये 850 करोड़ रही, जबकि 31 मार्च, 2017 को यह रुपये 13,356 करोड़ थी. दिनांक 31 मार्च, 2018 को सकल कोर जमा 3.77% की वृद्धि के साथ रुपये 2,93,989 करोड़ रही, जबकि 31 मार्च, 2017 को यह रुपये 2,83,315 करोड़ थी.

पिछले कुछ वर्षों में आस्ति गुणवत्ता हमारे बैंक के लिए मुख्य चिंता का कारण बनी हुई है. सकल एनपीए और सकल अग्रिम का अनुपात दिनांक 31 मार्च, 2018 को बढ़कर 21.48% हो गया है, जो 31 मार्च, 2017 को 17.81% था. निवल एनपीए और निवल अग्रिम का अनुपात दिनांक 31 मार्च, 2018 को बढ़कर 11.10% हो गया, जो 31 मार्च, 2017 को 10.20% था. प्रावधान कवरेज अनुपात दिनांक 31 मार्च, 2018 को सुधार के साथ 63.31% रहा, जो 31 मार्च, 2017 को 58.43% था.

हमारा फोकस सतत रुप से वसूली पर बने रहने के कारण वर्ष के दौरान परिणाम अच्छे रहे. दिनांक 31 मार्च, 2018 को बढ़ोतरी के साथ नकदी वसूली रुपये 2403 करोड़ हुई, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष अर्थात् दिनांक 31 मार्च, 2017 को यह राशि रुपये 2378 करोड़ थी, जो 1.05% की वृद्धि दर्शाता है. वर्ष 2018-19 के दौरान आय.बी.सी. के अंतर्गत एन.सी.एल.टी. के माध्यम से कुछ बड़े एन.पी.ए. खातों में समाधान होने की प्रत्याक्षा है. वर्ष 2018-19 के दौरान एन.पी.ए. वसूली को बढ़ाने तथा नई स्लिपेज को रोकने के लिए हमारा बैंक कारगर कदम उठाना जारी रखेगा.

वित्तीय वर्ष 2017-18 में हमारे बैंक की जमा लागत घटकर 5.53% हो गयी, जबकि वित्तीय वर्ष 2016-17 में यह 6.20% थी बैंक की निवल ब्याज आय घटकर रुपये 6517 करोड़ हो गयी, जबकि वित्तीय वर्ष 2016-17 में यह रुपये 6574 करोड़ थी. हमारे बैंक की गैर ब्याज आय दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए रुपये 2623 करोड़ रही, जबकि दिनांक 31 मार्च, 2017 को यह रुपये 2876 करोड़ थी.

हमारे बैंक का परिचालन लाभ रुपये 2733 करोड़ रहा, जबकि वित्तीय वर्ष 2016-17 में यह रुपये 3089 करोड़ था. तथापि, बैंक ने कुल रुपये 5105 करोड़ की निवल हानि दर्ज की, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान निवल हानि रुपये 2439 करोड़ थी, इसकी मुख्य वजह उच्चतर एन.पी.ए. प्रावधान, उच्चतर स्लिपेज/ऋणावधि तथा एन.सी.एल.टी. खातों में अतिरिक्त प्रावधान, निवेशों पर ट्रेडिंग लाभ में भारी कमी इत्यादि रही.

दिनांक 31 मार्च, 2018 को बैंक में कुल 4685 शाखाओं का नेटवर्क, 4886 एटीएम, 10 सेटेलाइट ऑफिस तथा 1 एक्सटेंशन काउंटर है. हमारा बैंक अखिल भारतीय स्तर पर व्याप्त है, जो 29 राज्यों, 6 में से 5 संघ शासित राज्यों तथा एनसीटी दिल्ली, 574 जिला मुख्यालयों और 707 में से 626 जिलों में स्थित है, जो कि बैंक की शक्ति का मुख्य स्तोत्र है. अपनी शाखाओं की व्यापक कवरेज की वजह से हमारे बैक की छवि एक रिटेल बैंक के रूप में बनी रही, जिसका विशेष फोकस रिटेल, कृषि एवं एमएसएमई व्यवसाय पर है.

मुझे बैंक की दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है.

शुभकामनाओं सहित,

आपका,

राजीव ऋषि

स्थान : मुंबई
दिनांक : 25 मई, 2018

निदेशक मंडल	BOARD OF DIRECTORS
श्री तपन रे (दिनांक 23.05.2018 से) श्री राजीव ऋषि श्री बी. के. दिवाकर श्री पी. आर. मूर्ती श्री. बी. एस. शेखावत डॉ. भूषण कुमार सिन्हा (दिनांक 14.05.2018 से) श्री शेखर भटनागर श्री केतुल आर. पटेल श्री एन. नित्यानंद प्रो. (डॉ.) आत्मानंद	SHRI TAPAN RAY (w.e.f. 23.05.2018) SHRI RAJEEV RISHI SHRI B. K. DIVAKARA SHRI P. R. MURTHY SHRI B. S. SHEKHAWAT DR. BHUSHAN KUMAR SINHA (w.e.f. 14.05.2018) SHRI SHEKHAR BHATNAGAR SHRI KETUL R. PATEL SHRI N. NITYANANDA PROF. (Dr.) ATMANAND
लेखा परीक्षक	**AUDITORS**
मे. लोढ़ा एण्ड कंपनी मे. पाठक एच. डी. एण्ड एसोशिएट्स मे. एस. के. मेहता एण्ड कं. मे. बोरकर एण्ड मुजुमदार	M/s. Lodha & Co. M/s. Pathak H. D. & Associates M/s. S. K. Mehta & Co. M/s. Borkar & Muzumdar
रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेन्ट	**REGISTRAR AND SHARE TRANSFER AGENTS**
लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि. सी-101, 247 पार्क, एलबीएस मार्ग, विक्रोली (पश्चिम) मुंबई - 400 083. टेलीफोन : 022-4918 6270 फैक्स : 022-4918 6060 ई-मेल आईडी : rnt.helpdesk@linkintime.co.in	Link Intime India Pvt. Ltd. C-101, 247 Park LBS Marg, Vikhroli (West) Mumbai - 400 083. Tel : 022-4918 6270 Fax : 022-4918 6060 E-mail ID : rnt.helpdesk@linkintime.co.in
बैंक से पत्र व्यवहार करने का पता	**ADDRESS FOR CORESSPONDENCE WITH THE BANK**
सहायक महाप्रबंधक-एमबीडी/कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया 9वीं मंजिल, चंदरमुखी नरीमन पॉईंट मुंबई - 400 021 संपर्क नं. 022 - 6638 7818 फैक्स : 022 - 2283 5198 ई-मेल आईडी : agmcompsec@centralbank.co.in; investors@centralbank.co.in	AGM-MBD / Company Secretary and Compliance officer Central Bank of India 9th Floor, Chandermukhi Nariman Point Mumbai - 400 021 Contact No. : 022 - 6638 7818 Fax No. : 022 - 2283 5198 E-mail ID : agmcompsec@centralbank.co.in; investors@centralbank.co.in

निदेशक मंडल
BOARD OF DIRECTORS

श्री तपन रे
Shri TAPAN RAY
अध्यक्ष
Chairman

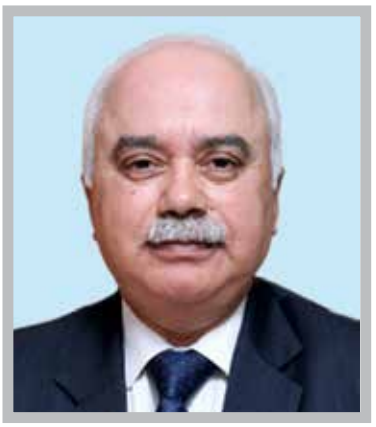

श्री राजीव ऋषि
Shri RAJEEV RISHI
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
Managing Director & Chief Executive Officer

श्री बी. के. दिवाकर
Shri B. K. DIVAKARA
कार्यपालक निदेशक
EXECUTIVE DIRECTOR

श्री पी. आर. मूर्ती
Shri P. R. MURTHY
कार्यपालक निदेशक
EXECUTIVE DIRECTOR

श्री बी. एस. शेखावत
Shri B. S. SHEKHAWAT
कार्यपालक निदेशक
EXECUTIVE DIRECTOR

(जारी / *Contd...*)

श्री शेखर भटनागर
Shri SHEKHAR BHATNAGAR
निदेशक
Director

डॉ. भूषण कुमार सिन्हा
Dr. BHUSHAN KUMAR SINHA
निदेशक
Director

श्री केतुल आर. पटेल
Shri KETUL R. PATEL
निदेशक
Director

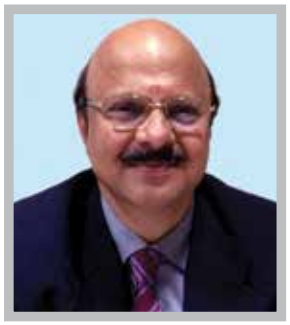

श्री एन. नित्यानंद
Shri N. NITYANANDA
निदेशक
Director

प्रो. (डॉ.) आत्मानंद
Prof. (Dr.) ATMANAND
निदेशक
Director

सूचना

एतदद्वारा यह सूचित किया जाता है कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की ग्यारवीं वार्षिक सामान्य बैठक शनिवार दिनांक 30 जून, 2018 को पूर्वाह्न 11.00 बजे चंदरमुखी, नरीमन पॉइन्ट, मुम्बई - 400021 स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय के 9वें माले में निम्नलिखित कारोबार के संपादन हेतु आयोजित की जाएगी.

1) दिनांक 31 मार्च 2018 का लेखापरीक्षित स्टैन्ड अलोन एवं समेकित तुलनपत्र, दिनांक 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि खाता, लेखों द्वारा आवृत अवधि में बैंकों के कार्यों एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट एवं लेखों तथा तुलनपत्र पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन तथा इन्हें स्वीकार करना.

2) एफपीओ / राइट / क्यूआईपी इत्यादि के माध्यम से पूंजी जुटाना.

निम्नलिखित पर विचार करना और उपयुक्त समझे जाने पर संशोधन या संशोधनो के बिना इसे विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:

प्रस्ताव है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 ("योजना") एवं सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स एवं मीटिंग्स) विनियम, 1998 समय समय पर यथासंशोधित के अनुसार एवं भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड और /अथवा इस संबंध में आवश्यक अन्य प्राधिकारी के अनुमोदनों, सहमतियों, अनुमतियों तथा स्वीकृतियों, यदि कोई हों, की शर्त पर एवं उक्त अनुमतियां प्रदान करते हुए उनके द्वारा निर्धारित शर्तों एवं संशोधनों, जिनसे बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सहमति व्यक्त की गई, की शर्त पर और सेबी (पूंजी निर्गमन एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) अधिनियम 2009 (सेबी (आईसीडीआर विनियम), सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 (सूचीकरण विनियमन) यथा अद्यतन संशोधित सेबी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश, यदि कोई हो, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम 1992 के अंतर्गत एवं अन्य आवश्यक प्राधिकारियों द्वारा अधिसूचनाओं/परिपत्रों एवं स्पष्टीकरणों के तथा अन्य लागू कानूनों के अधीन एवं जिन स्टॉक एक्सचेंजों में बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ हुए सूचीकरण करारों के अधीन, बैंक के शेयरधारकों की सहमति है एवं जिसे एतदद्वारा बैंक के निदेशक मंडल (जिसे 'बोर्ड" कहा गया है) को प्रदत्त किया जाता है, जिसमें पूंजी जुटाने वाली समिति शामिल है जिसे बोर्ड ने अपनी शक्तियों (इस प्रस्ताव द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित) के उपयोग के लिए गठित अथवा पुनर्गठित किया जाना है, को भारत अथवा विदेश में प्रस्ताव दस्तावेज/विवरण पत्र अथवा ऐसे किसी अन्य दस्तावेज के माध्यम से उतनी संख्या में इक्विटी शेयर्स जिनका मूल्य ₹ 8000/- करोड़ (रुपए आठ हजार करोड़ केवल) (प्रीमियम, यदि हो, सहित) हो, एक या एकाधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) कंपनियों, निजी अथवा सार्वजनिक निवेश संस्थाओं, सोसायटियों, न्यासों, शोध संस्थानों, अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) यथा विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, भारतीय म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, विदेशी वेंचर पूंजी निवेशकों, राज्य उद्योग विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्यनिधियों, पेंशननिधियों, विकास वित्तीय संस्थाओं अथवा अन्य निकायों, प्राधिकारियों अथवा निवेशकों की अन्य श्रेणियों, जो विद्यमान विनियमों/दिशानिर्देशों के अधीन बैंक की इक्विटी/प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए प्राधिकृत हैं अथवा उपर्युक्त में से कोई संयोजन जिसे बैंक द्वारा उपयुक्त समझा जाय, को इस प्रकार सृजित, प्रस्तावित, निर्गमित एवं आबंटित (तत्समय लागू कानून द्वारा अनुमत निर्गम के उस भाग और उस श्रेणी के व्यक्तियों को पुष्ट आबंटन और/अथवा प्रतियोगी आधार पर आरक्षण के प्रावधान सहित) करने की शक्ति प्रदान करता है कि बैंक की चुकता इक्विटी पूंजी में केंद्र सरकार की धारिता किसी भी समय 51% से कम न हो.

"**आगे यह प्रस्तावित किया जाता है** कि अति आबंटन के विकल्प के साथ या उसके बिना अर्हताप्राप्त संस्थानों को नियोजन ऐसे निर्गम, प्रस्ताव अथवा आबंटन सार्वजनिक निर्गमन (अर्थात, अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम) और राइट्स इश्यू और/अथवा निजी तौर पर आबंटन द्वारा किया जाएगा और ऐसे प्रस्ताव, निर्गम नियोजन, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 सेबी (पूंजी का निर्गमन और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2009 ("सेबी आईसीडीआर विनिमय") के प्रावधानों तथा भारिबै, सेबी और कोई अन्य प्राधिकारी जो भी लागू हो, द्वारा जारी सभी अन्य दिशानिर्देशों के अधीन किया जाएगा और यह उस तरीके तथा उन नियमों एवं शर्तों तथा उस समय समयांतरों में किया जाएगा जो निदेशक मंडल द्वारा अपनी पूर्ण विवेकाधीन शक्ति में उपयुक्त समझा जाता हो.

"**आगे यह प्रस्तावित किया जाता है** कि निदेशक मंडल को सेबी आईसीडीआर विनियमों, अन्य विनियम तथा कोई अथवा अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों के अंतर्गत बोर्ड द्वारा अपने संपूर्ण विवेक से उन निवेशकों जो बैंक के विद्यमान सदस्य हों अथवा न हों, को ऐसी कीमत जो आईसीडीआर विनियमों के संगत प्रावधानों द्वारा निर्धारित कीमत से कम न हों, को इस प्रकार स्वयं तय करने और आवश्यकता पड़ने पर अग्रणी प्रबंधकों और/अथवा हामीदारों और/अथवा अन्य परामर्शदाताओं अथवा अन्यथा तय करने हेतु प्राधिकृत होगा.

"आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि सेबी (सूचीकरण प्रतिबद्धता और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 के प्रावधानों, संबद्ध स्टॉक एक्सचेंज के साथ हुए सूचीबद्धता व्यवस्था के प्रावधानों, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण), अधिनियम, 1970 के प्रावधानों, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स और मीटिंग्स), विनियम, 1998 के प्रावधानों, सेबी आईसीडीआर विनियमों के प्रावधानों, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम,